हरियाणा पुलिस सिपाही, सब इंस्पेक्टर भर्ती के संशोधित नियम मंजूर होने के बाद शुरू होगी नई भर्ती

पीएसटी, पीएमटी, लिखित परीक्षा, एनसीसी, सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों के आधार पर होगी भर्ती, सीईटी पास होना जरूरी

- **पहले पीएसटी, फिर पीएमटी, फिर लिखित परीक्षा होगी**

डॉ. सुरेंद्र धीमान / सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़, 08 सितंबर : हरियाणा पुलिस में सिपाही और सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए संशोधित नियमों की मंजूरी के बाद ही भर्ती हो सकेगी। हरियाणा का गृह विभाग इन नियमों को संशोधित कर रहा है। नियम संशोधित होने में लंबा समय लग गया है और सीईटी पास अभ्यर्थी विज्ञापन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। वे दैनिक सवेरा के पास आग्रह भेजकर मांग कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार उन्हें उम्र में छूट दे जो सीईटी पास उम्मीदवार हैं ताकि वे आवेदन कर सकें। एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से ये संशोधित नियम मंजूर हो गए हैं। अब मुख्य सचिव से अनुमति मिलने के बाद इन नियमों को मंत्रिमंडल से मंजूर कराया जाएगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इन नियमों के आधार पर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए आग्रह पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजेंगे। उसके बाद आयोग पद विज्ञापित करेगा और आवेदन ऑनलाइन मांगेगा। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

संशोधित नियमों में यह किया गया है प्रावधान

पुलिस सिपाही के सभी रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी जबकि सब इंस्पेक्टर के 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती होगी। सिपाही के लिए 10 जमा 2 शैक्षणिक योग्यता होगी जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन योग्यता होगी। भर्ती के लिए सीईटी पास होना जरूरी है। ये किए गए हैं प्रावधान :

1. पीएसटी : आवेदन होने के बाद सबसे पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी) होगा। उम्मीदवारों को पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। जो उम्मीदवार तय समय में दौड़ पूरी करेंगे, उन्हें पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। मगर उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त वेटेज 2 फीसदी तक मिलेगी, जो समय से पहले दौड़ पूरी करेंगे। पुरुष 2.5 किलोमीटर दौड़ 12 मिनट में पूरी करेंगे। अगर कोई 11 मिनट 30 सेकंड तक पूरी करता है तो एक अंक मिलेगा और अगर 11 मिनट से कम में पूरी करता है तो 2 अंक मिलेंगे। महिला एक किलोमीटर 6 मिनट में पूरी करेगी। अगर 5 मिनट, 40 सेकंड तक पूरी करती है तो एकअंक मिलेगा। एक्स सर्विसमैन एक किलोमीटर पांच मिनट में पूरी करेंगे। चार मिनट से कम में पूरी की तो 2 अंक मिलेंगे, अगर 4 मिनट 40 मिनट तक पूरी की तो एक अंक मिलेगा।

2. पीएमटी : जो पीएसटी क्वालीफाई करेंगे, उन्हें अगली प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाएगा। इसके 2.5 फीसदी वेटेज होगी। जो उम्मीदवार न्यूनतम स्टैंडर्ड में फेल हो जाएंगे, वे अगले चरण के लिए यहीं से बाहर हो जाएंगे।

3. लिखित परीक्षा : नोलेज टेस्ट (लिखित परीक्षा) में वही भाग ले सकेंगे, जो पीएमटी में क्वालीफाई होंगे। इसमें 90 सवाल होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के 90 सवालों में मल्टीपल सवाल होंगे। एक प्रश्न का एक अंक होंगे। यह 90 मिनट में ओएमआर आधारित टेस्ट पूरा करना होगा। गलत जवाब का एक चौथाई अंक काट लिया जाएगा यानी नेगेटिव मार्किंग होगी।

4. एनसीसी : जो उम्मीदवार नोलेज टेस्ट में पास होंगे, उन सभी को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाएगा। दूसरे सभी उम्मीदवार यहीं से बाहर हो जाएंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट ए ग्रेड के 3, बी ग्रेड के 2 और सी ग्रेड के एक अंक मिलेंगे। एनसीसी के उच्चतर ग्रेड सर्टिफिकेट के अंक मिलेंगे।

5. सामाजिक-आर्थिक मानदंड के 2.5 अंक : सामाजिक-आर्थिक मानदंड के 2.5 फीसदी वेटेज मिलेगी। अधिकतम 2.5 फीसदी अंक मिलेंगे।

6. पीएसटी, पीएमटी, नोलेज टेस्ट, एनसीसी और सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों को जोड़कर कैटेदगरी अनुसार मेरिट आधार पर सूची जारी होगी।

दैनिक सवेरा एक्सक्लूसिव